संख्या– 319 /xxiv (7) 100(2)/2008 -9

प्रेषक,

अंजली प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
हल्द्वानी नैनीताल।

शिक्षा अनुभाग–7 (उच्च शिक्षा) देहरादून दिनांक 05 ~~जनवरी~~ फरवरी 2009

विषयः– **विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना के लिये राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के आहरण की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या डिग्री बजट/7689/2008–09 दिनांक 6–12–08 एवं शासनादेश संख्या 141/xxiv (7)/2008 दिनांक 04 अप्रैल 2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा निदेशालय एवं राजकीय महाविद्यालयों के विभिन्न व्ययों की स्वीकृति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक के आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि रु0 18,10,35,000/–तथा आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रु0 47,19,85,000/– कुल रु0 65,30,20,000/–निदेशक, उच्च शिक्षा के निवर्तन पर इस शर्त के साथ रखी गई थी कि केवल वचनबद्ध मदों पर ही धनराशि व्यय की जायेगी। इस शासनादेश द्वारा निवर्तन पर रखी गई धनराशि में से निम्नांकित विवरणानुसार (महाविद्यालयवार संलग्न विवरणानुसार) रु0 91.20 लाख (रुपया इकानब्बे लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि को अब तक चयनित 13 विशिष्ट महाविद्यालयों में अनुमन्य दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन तथा प्रयोगशाला आदि को मानकों के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिये व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

10–विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना	(धनराशि हजार रुपये में)
07– मानदेय	2200
26–मशीन साज सज्जा एवं उपकरण	3400
29–अनुरक्षण	1000
42–अन्य व्यय	2520
योग–	**9120**

2– मानदेय मद से व्यावसायिक पाठ्यक्रम के शिक्षण हेतु आमंत्रित शिक्षकों को मानदेय उन्ही दरों पर दिया जायेगा जिन दरों पर गत वर्ष में मानदेय दिया गया था।

3– मशीन साज सज्जा उपकरण मद से उपयोगी उपकरण जो महाविद्यालय के पास पूर्व से न हों, क्रय किये जायेंगे। इस मद में प्राविधानित धनराशि से अनावश्यक व्यय यथा फर्नीचर, पर्दे, मैट, टेलीविजन आदि क्रय नहीं किये जायेंगे। तद्विषयक क्रय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था के अनुसार क्रय किये जायेंगे।

4– अनुरक्षण मद से रंगाई पुताई, नालियों की मरम्मत आदि जैसे महत्वहीन कार्य नहीं किये जायेंगें। मात्र अपरिहार्य अत्यावश्यक अनुरक्षण कार्य जिनके बिना कार्य न चल सकता हो उन पर ही व्यय की जायेगी।

5– अन्य व्यय मद से सन्दर्भ पुस्तकें क्रय की जानी होंगी। महाविद्यालय को अधिक छूट का लाभ प्राप्त करने के लिये बुक फेयर के माध्यम से पुस्तकों का क्रय किया जाना होगा।

6– चिन्मय डिग्री कालेज हरिद्वार के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय होने के कारण इस महाविद्यालय को स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा आहरित कर उसे अवमुक्त की जायेगी।

7– उक्त समस्त मदों पर धनराशि व्यय करने से पूर्व महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा एक क्रय समिति गठित की जानी होगी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्राविधानों के आलोक में ही समिति के अनुमोदनोपरान्त सामग्री क्रय करने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय लिया जायेगा। सामग्री क्रय में अनियमितता होने पर सम्बन्धित प्राचार्य के अतिरिक्त समिति के समस्त सदस्य भी उत्तरदाई होंगे।

8– प्राविधानित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई व्यय नहीं किया जायेगा।

9– स्वीकृत धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा कार्य की प्रगति से शासन को अवगत कराया जायेगा एवं समय समय पर निर्गत वित्तीय एवं वित्तव्यता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वालू वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक– 2202– सामान्य शिक्षा–03– विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा–103–राजकीय कालेज तथा संस्थान–10–विशिष्ट महाविद्यालयों की स्थापना की सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 610(p)/xxvii(3)/2008 दिनांक 7–1–2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(अंजली प्रसाद)
सचिव

सं0 319 (1)/ xxiv (7)100(2)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2– कुल सचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।
3– कुल सचिव, हे0 न0 ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल ।
4– लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) ।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) ।
6– वित्त अनु0–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
7– सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक।
8– विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(झन्कुशर बोडाई)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या 319/ xxiv (7)100(2)/2008 दिनांक 05/01/2009 का संलग्नक

(धनराशि हजार रुपये में)

क स	महाविद्यालय का नाम	07– मानदेय	26 मशीन साज सज्जा उपकरण	29– अनुरक्षण	42– अन्य व्यय	योग
1	रा0 महा0 पिथौरागढ	70	200	40	60	370
2	रा0 महा0 ऋषिकेश	350	500	120	350	1320
3	रा0 महा0 गोपेश्वर	200	250	60	–	510
4	रा0 महा0 हल्द्वानी	350	600	120	600	1670
5	रा0 महा0 रानीखेत	100	200	40	150	490
6	रा0 महा0 उत्तरकाशी	50	300	60	170	580
7	रा0 महा0 कोटद्वार	375	–	80	–	455
8	रा0 महा0 रुद्रपुर	100	300	100	300	800
9	रा0 महा0 लोहाघाट	–	200	–	100	300
10	रा0 महा0 अगस्तमुनि	100	250	100	170	620
11	रा0 महा0 नई टिहरी	375	200	100	300	925
12	रा0 महा0 बागेश्वर	5	200	120	170	495
13	चिन्मय महाविद्यालय हरिद्वार	175	200	60	150	585
	योगः–	2200	3400	1000	2520	9120

(रु0 इकानव्वे लाख बीस हजार मात्र)

(इन्द्रधर बौडाई)
अपर सचिव